कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

पत्रांक: 138–सा0प्र0 / आई.टी. एस्सेट्स का निस्ता0 / 2024–25 / 98 दिनांक: 31 .07.2024

अप्रयोज्य कम्प्यूटर हार्डवेयर की विक्रय हेतु निविदा

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पुराने एवं अप्रयोज्य कम्प्यूटर हार्डवेयर सामग्री को जहां है, जैसे है के आधार पर निराकरण हेतु मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित करता है। जिनको दिनांक 09.08.2024 तक कार्यालय कार्य दिवसों में बिना किसी व्यय के कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून में भौतिक रूप में देखा जा सकता है। निविदा की विस्तृत विवरण कार्यालय की वेबसाइट www.agua.cag.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। मात्र वही फर्म/निविदाकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते है, जिन्होंने E-waste नियमों के अधीन अपनी फर्मों का रजिस्ट्रेशन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड में कराया हुआ है।

निविदायें इस कार्यालय में By hand या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 14.08.2024 तक प्रेषित की जा सकती है। डाक से निविदा भेजने पर लिफाफे के ऊपर "I.T. अप्रयोज्य सामग्री हेतु निविदा" लिखना अनिवार्य है।

सक्षम प्राधिकारी किसी भी या सभी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

वरिष्ठ लेखाधिकारी / सामान्य प्रशासन

अप्रयोज्य कम्प्यूटर हार्डवेयर सामग्री की विक्रय हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें

1. भावी निविदाकर्ता/फर्म कम्प्यूटर सामग्री कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून में शनिवार एवं रविवार को छोड़कर दिनांक 09.08.2024 के मध्य निरीक्षण कर सकते है।

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून या उनके द्वारा नामंकित व्यक्ति सामग्री को एकत्रित रखने या टुकड़ों में रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. सामग्री को जहां है, जैसे है के आधार पर विक्रय किया जाना है।

4. सभी निविदाकर्ताओं को स्वयं निविदा से पूर्व सभी बिन्दुओं से संतुष्ट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जायेगा। इच्छुक निविदाकर्ता/फर्म सामग्री का निरीक्षण कर सकते है। सामग्रियों को यह मानकर विक्रय किया जायेगा कि निविदाकर्ताओं ने सामग्रियों का निरीक्षण कर लिया है तथा वह जानते है कि वह पूर्व में निरीक्षण किये सामग्री को क्रय कर रहे है।

5. निविदाकर्ताओं को E-waste नियमों के अधीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड में पंजीकृत से सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

6. सभी निविदा सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति के अनुमोदन के अधीन होंगे तथा निविदा तब तक खुले रहेंगे जब तक वह स्वीकार या अस्वीकार नहीं किये जाते है।

7. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त घोषित सफल निविदाकर्ता को 03 दिनों के अन्दर पूर्ण राशि जमा किया जाना है। पूर्ण भुगतान प्राप्ति के बाद सामान्य प्रशासन अनुभाग सामग्री को कार्यालय परिसर से बाहर उठाने के लिए गेट पास जारी करेगा।

8. यदि सफल निविदाकर्ता इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो, सक्षम प्राधिकारी को निविदा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

9. एक स्थान पर पड़ी हुई सामग्री पूर्ण रूप से क्रेता के जोखिम पर रहेगी। जब से उन्हें खरीदा गया है तथा पूर्ण भुगतान हो जाने के उपरान्त दो दिन के भीतर बिना क्षतिग्रस्त किये वहां से हटाना/खाली करना होगा। सफल निविदाकर्ता कार्यालय से सामग्रियों को ले जाने हेतु आवश्यक वाहन/मजदूरों की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

10. सामग्रियों पर देय Municipal Dues, Exceise, GST, TCS etc. यदि ऐसा आवश्यक है तो, क्रेता को इसका भुगतान करना पड़ेगा।

11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून उच्चतम किसी भी या अन्य Bid को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून बिना किसी कारण के किसी भी सामग्रियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन